म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2007

क्रमांक 1474/म.प्र.विनिआ/2007. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 86(1) (एच) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2506/मप्रविनिआ/2005 क्रमांक 24 अक्टूबर, 2006 द्वारा अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 में तृतीय संशोधन/परिवर्धन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 (तृतीय संशोधन) क्रमांक ए[आरजी–14 (1) (iii) वर्ष 2007]''** कही जावेगी ।

(ii) यह संशोधन/परिवर्धन मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा ।

2. संहिता की धारा 3.4 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम, 2005), जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, **कण्डिका 3.4.4 में उप कण्डिका (सी)** को विलोपित किया जावेगा, अर्थात् :–

''(सी) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के एक प्रतिनिधि – सदस्य''

3. संहिता की धारा 3.4 में परिवर्धन :

प्रमुख संहिता की **कण्डिका 3.4.4** के अन्त में निम्न उप–परिच्छेद जोड़ा जावेगा, अर्थात् :

''यदि समिति आयोग से किसी विशेष विषय पर चर्चा/परामर्श किया जाना आवश्यक समझे तो ऐसी दशा में समिति आयोग को अग्रिम रूप से आगामी बैठक हेतु उन विषयों के विवरण जिन पर चर्चा की जाना है, प्रेषित करेगी । ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग स्वविवेक से, आयोग के किसी एक अधिकारी को, इस हेतु नियोजित कर सकेगा ।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,, आयोग सचिव